मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

[पीठासीन] अधिकारी :– जय कौशिक (आर.ए.एस.)
[प्रकरण] संख्या :– 460/2024
[अन्तर्गत] अं. धारा 53/88 आर.टी.ए.

[प्रवीण] कुमार पुत्र परमानन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–वादी

बनाम्

जंगीर सिह पुत्र काकूसिह तारासिह पुत्र सरवन सिह बन्ता सिह पुत्र सरवन सिह बलदेव सिह पुत्र सरवन सिह हरबंस सिह पुत्र सरवन सिह भाग सिह पुत्र जवान सिह महताबसिह हपुत्र खजाना सिह सज्जन सिह पुत्र दयाल सिह हरनेक सिह पुत्र दयाल सिह तहसीलदार राजस्व संगरिया।	समस्त जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :– 27.11.2025

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू [ब]हाजरी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया [जाता] है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है [कि] प्रवीण कुमार पुत्र परमानन्द जाति अग्रवाल निवासी संगरिया के कब्जा काश्त भूमि चक 9 एसबीएन प.न. [..]/196 मु.न. .8 किला नं. 2/0.253 है.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है [फिर] भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित [कर]ने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो [तह]सीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये [जा]ते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/2158 दिनांक 16.06.2025 द्वारा प्राप्त [विभ]ाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज...X...मुब्लिक...X...बाबत...X...खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की [ता]रीख से तारीख वसूलयाबी तक...X...को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में जारी [क]िया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया